संख्या-10/2020/रिट461(2)/पन्चानवे-19

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महासमादेष्टा,
होमगार्डस,
उ0प्र0, लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2020

विषयः सरकारी सेवक के पति या पत्नी की चिकित्सा पर हुये व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बी0ओ0, होमगार्ड्स, गाजीपुर द्वारा अपनी पत्नी के इलाज पर हुए व्यय रू0 8,55,175/- की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसे होमगार्ड्स विभाग द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि उनकी पत्नी परिषदीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा तद्नुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2014 के अनुसार रू0 3500/- मासिक से ज्यादा आय होने के कारण श्री ओम प्रकाश गुप्ता के आश्रित की परिधि में नहीं आती हैं।

2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के संबंध में उक्त बिन्दु पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की गयी:-

"राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2014 में केवल 2(च)(दो) के अन्तर्गत आने वालों के लिये ही सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित होने एवं सामान्यतः सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे, का वाक्यांश लागू है न कि 2(च)(एक) के अन्तर्गत आने वाले यथास्थिति पति पत्नी के लिये।"

3- श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बी0ओ0, होमगार्ड्स, गाजीपुर की पत्नी के इलाज पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-रिट 461(1)/पन्चानबे-19 दिनांक 04.02.2020 निर्गत किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस प्रकार के अन्य प्रकरण भी विभाग में विद्‌यमान हो सकते हैं। अतः यह स्पष्टीकरण इस आशय से प्रसारित किया जा रहा है कि अन्य प्रकरणों में भी इसी के आलोक में सरकारी सेवक के पति या पत्नी की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का निर्णय नियमानुसार लिया जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/2020/रिट461(3)/पन्चानवे-19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि इस स्पष्टीकरण को सभी विभागों के लिये प्रसारित करने पर विचार कर लें।
2- उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, प्रयागराज, आगरा, झाँसी।
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।